IJAER/Jan-Feb 2022/Volume-11/Issue-1 ISSN: 2278-9677

International Journal of Arts & Education Research

अनुसूचित जाति की महिलाओं में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक अधिकारों के प्रति चेतनता का अध्ययन

Tinku Khatri
Research Scholar
Department of Sociology
OPJS University, Churu, Rajasthan

Dr. Chander Kant Chawla
Associate Professor
Department of Sociology
OPJS University, Churu, Rajasthan

सारांश

अनुसूचित जाति की महिलाओं ने भारत में राजनीति करके महिला सशक्तिकरण को बढ़ाया है और नई ऊँचाईयों पर ले गई। इन महिलाओं ने अपने को परखा और परखने के बाद इन्होंने अपनी शक्ति की पहचान करते हुए राजनीति में आई। ये प्रमुख महिलाये निम्नलिखित हैं सावित्री बाई फुले, रमाबाई अम्बेडकर, मायावती, किरण जाटव, मीरादेवी आदि महिलायें अनुसूचित जाति की महिलायें हैं जो आज भी अपने सशक्तिकरण के कारण पहचानी जाती हैं। साहित्य की समीक्षा एक संपूर्ण शोध प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। जब आप एक शोध प्रक्रिया शुरू करते हैं, तो साहित्य की समीक्षा से आपको अपनी रुचि के क्षेत्र की सैद्धांतिक जड़ें स्थापित करने में मदद मिलेगी, अपने विचारों को स्पष्ट करें और अपनी कार्यप्रणाली विकसित करें। साहित्य की समीक्षा आपको अपने निष्कर्षों को ज्ञान के मौजूदा निकाय के साथ जोड़ने में भी मदद करती है। मानव एक जिज्ञासु प्राणी है। वह अपनी जिज्ञासा को शान्त करने के लिए अपने चारों ओर के पर्यावरण में घटित घटनाओं के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता है। मनुष्य के जिज्ञासु मन की सदैव यह चेष्टा रहती है कि वह अज्ञात की खोज करे तथा इन प्रश्नों को खोजे कि यह अज्ञात क्या है? क्यों है?तथा कैसे घटित हुआ? चूकिं मानव एक सामाजिक व बौद्धिक प्राणी है अत वह सामाजिक घटनाओं के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करता है अथवा पूर्व में ज्ञात जानकारी में अभिवृद्धि करता है।

मुख्य शब्द: *सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक अधिकारों*

परिचय

अनुसूचित जाति की महिलाओं ने भारत में राजनीति करके महिला सशक्तिकरण को बढ़ाया है और नई ऊँचाईयों पर ले गई। इन महिलाओं ने अपने को परखा और परखने के बाद इन्होंने अपनी शक्ति की पहचान करते हुए राजनीति में आई। ये प्रमुख महिलाये निम्नलिखित हैं सावित्री बाई फुले, रमाबाई अम्बेडकर, मायावती, किरण जाटव, मीरादेवी आदि महिलायें अनुसूचित जाति की महिलायें हैं जो आज भी अपने सशक्तिकरण के कारण पहचानी जाती हैं।

इस कारण सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाने के लिए भारतीय संविधान की धारा 243 डी में संशोधन किया गया और पंचायतों में सभी श्रेणियों में महिलाओं की भागीदारी एक तिहाई से बढ़ाकर कम से कम 50 प्रतिशत करने ए भारतीय संविधान में एक अधिकारिक संशोधन (110वां संशोधन) विधेयक–2009 के प्रभाव को मंजूरी दी है। इस प्रावधान में अनुसचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षित प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी गई कल सीटें, अध्यक्षों के कार्यालयों और अध्यक्षों की सीटो एवं कार्यालय के लिए लागू होगा। 27 अगस्त 2009 को ग्रामीण स्तर की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिला आरक्षण कोटा 33 से 50 प्रतिशत प्रस्ताव होने पर पंचायतों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं के लिए भी लागू होगी। भारत–दृष्टिकोण 2020 दस्तावेज ने सशक्तिकरण के लिए सरकारी योजनायें बनायी जा रही हैं। योजना आयोग के बारहवीं पंचवर्षीय योजना में भी महिलाओं के लिए विशेष योजना का प्रावधान किया गया है।

सशक्तिकरण का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके तहत शक्तिहीन महिलाओं को शक्तिशाली बनाना, महिलाओं को समाज में पुरुष के समान शक्तिशाली बनाना और महिला सशक्तिकरण से आशय उन सामान्य अर्थों से लगाया जाता है जो अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सके और आत्मविश्वास में वृद्धि कर पुरुषों के समान बराबरी के आधार पर निर्णय करने की क्षमता में बढ़ोत्तरी कर सके। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अति आवश्यक है कि पुरुष समाज में स्त्रियों के साथ होने वाले भेदभाव के बारे में जागरुक बने और पौरुष की परम्परागत परिभाषा को सवालिया निगाह से देखने में दिलचस्पी ले अर्थात् महिला सशक्तिकरण तब तक सम्भव नहीं होगा जब तक स्त्री अपना सम्मान के साथ लक्ष्य पर पहुँच जाये। जिसमें महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के तहत नारी को सर्वगुण सम्पन्न, अधिकार से वंचित, दुनिया भर में पुरुषों से कम आंकलन और उनके अधिकार के तहत नारी को वंचित करना आदि है। इन कारणों के तहत, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, परिवार में लड़की को समान समझना, महिलाओं को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, स्वास्थ्य पर ध्यान एवं उनका स्तर बढ़ाना आदि।

एक तरफ नारी को जहाँ यत्र नार्यः पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता अथवा यदि ईश्वर प्रकाश पुंज है तो नारी उसकी किरण है जो प्रकाश को चारों तरफ बिखरे देती है। अथवा यदि ईश्वर शब्द है तो नारी उसका अर्थ है। जैसी उक्तियाँ प्रचलित हैं, वहीं दूसरी ओर नारी के पालन–पोषण को पड़ोसी के पौधे को सींचने के समान बताया गया है। उसे मात्र एक आर्थिक उत्तरदायित्व माना गया है। पुरुष से उसे हर दृष्टि से कम ही समझा गया है। मनु ने तो यहाँ तक कहा है कि हिन्दू महिला आजीवन पुरुष पर ही आश्रित हैं बचपन में पिता पर, विवाह के उपरान्त पति पर, वृद्धावस्था में पुत्र पर। इनमें से एक भी अवस्था में पुरुष का आश्रय न रहने पर उसे कलंकित व उपेक्षित किया गया एवं अपमान व तिरस्कार की ज्वाला में उसके जीवन को भस्म कर दिया गया। यदि हम विभिन्न कालों की बात करें तो भारतीय महिलाओं की स्थिति पर दृष्टिपात करें तो पायेंगे कि वैदिक काल में पुरुषों के समान स्त्रीयों की स्थिति काफी ऊँची थी और समय बदलता गया नारी की स्थिति में कमी आनी शुरू हो गयी। उत्तर वैदिक काल में नारी की दिशा गिरती चली गयी व मध्यकाल तक आते–आते नारी जाति के लिए अन्धकारमय रहा। इस काल में ही

पर्दा–प्रथा, बाल विवाह, सतीप्रथा, विवाह–विच्छेद की समस्या, अन्तर्जातीय विवाहों की समस्या तथा कन्या व्यापार आदि समस्याओं का जन्म हो गया था।

अंग्रेजों के भारत आगमन तथा उनके द्वारा शिक्षा के प्रारम्भ का समाज के विचारों, मनोवृत्तियों व मूल्यों पर गहरा प्रभाव दिखने लगा। यही वह समय था जब नारी सशक्तिकरण हास होने लगा था। परिवार सम्बन्धी मान्यताएं बदलने लगी। स्त्री–पुरुषों की समानता अलग हो चुकी थी। संवैधानिक सुधार व भारतीय नारी मताधिकार का राजनीतिक अधिकार का प्रभाव देखने को मिला परन्तु नारी अभी भी अत्यधिक पिछड़ने लगी थी।

वर्ष 1975 को विश्व महिला वर्ष घोषित किया गया था। इसके पश्चात् अनेक राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किये गये, परन्तु महिलाओं की दशा में विशेष सुधार नहीं हो पाया। महिलायें चाहे वे ग्रामीण हों या शहरी, हिंसा की शिकार होती रहती हैं। जिस कारण वे अपने अधिकारों का सही उपयोग नहीं कर पा रही हैं और इसी कारण देश की प्रगति में भी अपना सहयोग नहीं दे पा रही हैं।

हमारे देश की प्रथम आई०पी०एस० महिला सुश्री किरण बेदी का कहना है कि महिलायें शिक्षित हों, ज्ञानवान बने, सिर्फ साक्षर होने से कुछ भी नहीं होगा। इसके साथ ही समाज को भी अपनी मानसिकता में बदलाव लाना जरूरी है। महिलायें शिक्षित तब होगी जब उनको बराबरी का दर्जा प्राप्त होगा। महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए उचित माहौल एवं अवसर प्राप्त हों तब ही वे शिक्षा प्राप्त कर सकेगी एवं आगे बढ़ सकेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी महिलाओं को शिक्षा का माहौल प्राप्त नहीं है। जब वे शिक्षा प्राप्त करेगी तभी तो आगे बढ़ेगीं। गाँवों के स्कूलों में आज भी बच्चे पूर्णरूप से शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं अर्थात् गॉवों से काफी दूर स्कूल में ग्रामीण अपनी लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजते हैं।

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 1992 में महिला आयोग की स्थापना की गई और इसके पूर्व 1984 में पारिवारिक अदालतों की स्थापना के लिए पारिवारिक अदालत अधिनियम बनाया गया। जिसका

उद्देश्य विवाह व पारिवारिक मामलों में त्वरित समाधान कराने के लिए पक्षकारों में मेलजेल व समझौते की राह आसान बनाना था। ब्रिटिश काल में औरतो के मामले में पश्चमीकरण विशेष प्रभावी न हो सका। बाल–विवाह, सती प्रथा, कन्या वध, कन्याओं की तस्करी आदि अर्थात स्त्रियों की स्थिति दयनीय हो चली थी। ब्रिटिश काल में आधुनिक शिक्षा का प्रचार हुआ। कुछ स्त्रियों ने घर से बाहर कदम रखे किन्तु उन्हें समाज विरोधी नजरों को सहन करना पड़ता था। राजा राम मोहनराय ने सती प्रथा, बाल विवाह के विरुद्ध आवाज उठायी, महात्मा गांधी ने भी स्वतन्त्रता आन्दोलन के नेतृत्व में नारी की दुर्दशा पर सवाल उठाया था। भारत कृषि प्रधान देश है जहाँ नारी गाँवों में पुरुषों के साथ खेती–बाड़ी करती हैं। जंगल, खेती पशुओं का पालन–पोषण करके अपने परिवार की आय में बढ़ोत्तरी कर रही हैं। नई शताब्दी के शुरू का वर्ष 2015 महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया। भारत में आदि शक्ति की धारणा रही। अभी भी नवरात्र के अवसर पर देवी की पूजा करते हुए यह श्लोक पढ़ा जाता है

या देवि सर्वभूतेष, शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ।

इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय विशेष रूप में हिन्दू धर्म में स्त्री को देवी शक्ति के रूप में देखा जाता है। स्त्री अबला कब हो गयी, इसकी खोज कोई जासूस ही कर सकता है। अतः स्त्री को जब घर के भीतर ही बंद कर दिया गया वह असूर्यपश्या मानी जाने लगी इसी के तहत उसे अबला के रूप में देखा जाने लगा। यद्यपि मनु ने कहा कि स्त्रियों की जहाँ पूजा होती है वहाँ देवता रहते हैं। इन सभी के बावजूद आधुनिक सभ्यता के प्रसार के पहले यह पूरा भारतीय समाज स्त्रियों के लिए एक विशाल कारागार की तरह है।

उद्देश्य

1ण अनुसूचित जाति की महिलाओं में अधिकारों के प्रति चेतनता के स्तर का अध्ययन ।

2ण अनुसूचित जाति की महिलाआ की सामाजिक प्रस्थिति का अध्ययन करना।

सामाजिक निर्योग्यताएँ

सर्वाधिक अमानवीय सामाजिक तथा अनैतिक असमानताएँ तथा निर्योग्यताएँ अस्पृश्यता की संस्था में निहित थी। अस्पृश्य जातियाँ जिन्हें अब अनुसूचित जातियों द्वारा भी सम्बोधित किया जाता है, को पतित, पद दलित तथा दरिद्र माना जाता था और उनका सामाजिक स्तरीकरण में सबसे निम्न स्थान था। तथाकथित उच्च हिन्दू जातियों की पवित्रता तथा अपवित्रता में अन्धविश्वास के कारण इन्हें समाज से बहिष्कृत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अमानवीय तथा शोषणपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य होना पड़ा।

सांस्कारिक स्तर इन अशुभ तथा मलिन मानी जाने वाली जाति का स्पर्श, यहाँ तक कि उनकी परछायी मात्र तथाकथित उच्च जाति के व्यक्ति को अपवित्र कर सकती थी। जिन्हें पवित्र होने के लिए गौमूत्र या गंगा जल से स्नान करना पड़ता था। अनुसूचित जातियों के लिये सर्वाधिक सामाजिक निर्योग्यताएं थी।

सामाजिक निर्योग्यताओं से तात्पर्य है सामाजिक सम्बन्धों, सम्पर्को, सम्मेलनों, संगोष्ठियों, पंचायतों उत्सवों, समारोहों में अस्पृश्य व्यक्तियों को सम्मिलित नहीं होने देना। अस्पृश्य परिवार किसी सवर्ण जाति व अन्य प्रमुख जाति से वैवाहिक सम्बन्ध तथा भोजन आदि नहीं करना, सामाजिक निर्योग्यताओं के अन्तर्गत आता है।

ब्राह्मण शास्त्रकारों ने शूद्रों को बहुत से कामों से प्रतिबन्धित किया है और उनके लिए निर्योग्यताएं तथा कठिन दंड निर्धारित किये हैं, जैसे "शूद्र को सोमरस पिलाना वर्जित है।इसके साथ–साथ सवर्ण हिन्दु अस्पृश्यों को यह भी अधिकार नहीं देते कि वे अच्छे वस्त्र, आभूषण, मनोरंजन, खाना–पीना, घूमना–फिरना, अच्छे मकान बनाकर रहना आदि मानवीय इच्छाओं की पूर्ति करें। उच्च जाति के लोग उनकी सुविधा की दृष्टि से सहयोग नहीं देते थे। सवर्णों के समान नाई, धोबी, लोहार, कुम्भहार, मोची आदि जातियाँ भी उनका कोई काम नहीं करती थीं।

1. दलित वर्ग की सामाजिक स्थिति विभिन्न कालो में कभी भी ठीक नहीं रही है।
2. जाति प्रथा जब अपनी पूर्ण यौवनावस्था में थी, तब इस पंचम वर्ण की दशा कई प्रकार से दासता से बुरी थी।
3. दास केवल एक व्यक्ति के अधीन होता था, लेकिन कहीं पर यह भार सम्पूर्ण गांव दासता का शिकार था।
4. अछूतों के परिवार पर तो गांव भर की दासता का भार था।
5. एक शूद्र यद्यपि अपने स्वामी से मुक्ति पा चुका हो तथापि वह दासता से मुक्त नहीं हो सकता; क्योंकि यह उसके जन्म के साथ लगी है।

उन्हें न तो उच्च जातियों द्वारा सेवाएँ प्राप्त करने की अनुमति थी और न ही वे उन जातियों जैसे धोबी, नाई इत्यादि जो उच्च जातियों की सेवाएँ करते थे, उनसे सेवार्थ प्राप्त कर सकते थे। वे सार्वजनिक सुविधाओं का प्रयोग नहीं कर सकते थे और न ही अन्य जातियों के धार्मिक तथा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश कर सकते थे। प्राय उन्हें धर्मशालाओं, सराय तथा चाय–पान की दुकानों इत्यादि में जाने तथा महंगे वस्त्र, आभूषण एवं धातु के बर्तनों के प्रयोग करने से भी रोका जाता था। उच्च जातियों के लोग उन्हें बात–चीत करने या उठने–बैठने के योग्य भी नहीं समझते थे। उनकी निम्न प्रस्थिति का पाता इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके निवास स्थान मुख्यतः गांव के बाहर श्मशान घाटों के निकट एवं अन्य जातियों से अलग गन्दे पानी की निकासी वाले स्थानों के नजदीक होते थे। इनसे सम्बन्धित बातें निम्न तथ्यों से स्पष्ट हैं।

–– "चौथा वर्ण शूद्र संस्कारों से हीन है, उसका एकमात्र काम द्विज जातियों की सेवा करना ही है।

स्कन्द पुराण, वैष्णव खण्ड, अध्याय 19 और ब्रह्मखण्ड, अ–10 के दृढ़मति के उपाख्यान में कहा गया है :

उपदेशों न कर्तव्यों जातिहीनस्य कस्यचित, उपदेशे महान् दोष उपाध्यायस्य विद्यते..

यदि चोपदिशेद् विप्रं शूद्र चौतानि कर्हि चित, त्यजेयुबर्राह्मणा विप्रं तं ग्रामाद ब्रह्मसंकुलात.....

शूद्राय चोपदे टारं चाण्डालवत् त्यजेत, शूद्र चाक्षरसंयुक्त। दूरत परिवर्जयेत...

अर्थात् निम्न जाति के व्यक्ति को कभी उपदेश नहीं देना चाहिए, यदि ब्राह्मण उपदेश करता है तो वह दोष का भागीदार बनेगा, यदि कोई ब्राह्मण किसी शूद्र को उपदेश देता है तो दूसरे ब्राह्मणों द्वारा उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए तथा उसका चाण्डाल की तरह त्याग कर दिया जाना चाहिए, उसे गाँव से बहिष्कृत किया जाना चाहिए, पढ़े लिखे शूद्र को दूर से ही त्याग दें। शूद्रों को वेदों से बहुत ही सख्ती से दूर रखने का आदेश है। गौतम धर्मसूत्र में कहा गया है कि

अथ हास्य वेदमुपश्रृण्वतस्त्रपुजतुभ्यां

श्रोतप्रतिपूरणमुदाहरणे जिह्वोच्देदो धारणे शरीरभेदश

अर्थात् यदि शूद्र वेदमंत्रों को सुन ले तो उसके कानों में रांगा और लाख पिघलाकर डाल देना चाहिए। यदि वह वेद के शब्दों का उच्चारण करे तो उस की जीभ काट देनी चाहिए। यदि वह वेदमंत्रों को धारण कर लें, याद कर ले तो उसके शरीर को कुल्हाड़ी आदि से काट दें। शूद्र यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के साथ एक आसन पर बैठने, एक शैया पर सोने, एक रास्ते पर चलने और उनके बराबर की बातचीत करने की इच्छा करे तो उसे दण्डित किया जाना चाहिए।

घुरिये, गोविन्द सदाशिव के अनुसार, उत्तर–वैदिक काल में यज्ञ, धर्म आदि से सम्बन्धित शुद्धता या पवित्रता की धारणा अत्यन्त प्रखर थी, परन्तु अस्पृश्यता की धारणा आज से लगभग एक शताब्दी पूर्व रही है। स्मृतिकाल में चाण्डाल, निषाद आदि के रहने की व्यवस्था गांव के बाहर थी। धर्मशास्त्र युग में अस्पृश्यता की भावना सबसे पहले स्पष्ट हुई, एक ब्राह्मण स्त्री और एक शूद्र पुरूष से यौनपरक उत्पादकता के माध्यम से उत्पन्न सन्तान को चाण्डाल कह कर सम्बोधित किया गया। इन लोगों को घृणित दृष्टि से देखा जाने लगा।

शूद्र केवल शूद्र वर्ण की स्त्री से विवाह कर सकता है जबकि ब्राह्मण अपने वर्ण के अतिरिक्त क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण की स्त्री से भी विवाह कर सकता है। क्षत्रिय अपने वर्ण के अतिरिक्त वैश्य और शूद्र वर्ण की स्त्री से तथा वैश्य अपने वर्ण के अतिरिक्त शूद्रवर्ण की स्त्री से विवाह कर सकता है, जैसे प्रतिबन्ध सख्ती से लागू किये जाते थे।

शूद्रस्य भार्याशूद्रस्य सा च स्वा च विश स्मृते

ते च स्वा चौव राजश्य ताश्च चाग्रजन्मन:

हिन्दू धर्म ग्रन्थों के अनुसार शूद्र से स्पर्श हो जाने पर उच्च जाति का हिन्दू अपवित्र हो जाता है अतरू उसकी छाया तक से दूर रहना चाहिए। संवर्त स्मृति में कहा गया है कि भंगी, पतित, मुर्दा, अंत्यज, मासिक धर्म वाली स्त्री आदि का स्पर्श मात्र व्यक्ति को अपवित्र कर सकता है। वस्त्रों सहित स्नान करने का भी विधान है:

चांडालं पतितं स्पृ ट्वा शवमन्त्यजमेव च

उदक्यां सुतिकां नारी सवासः स्नानमाचरे

पाराशर स्मृति में उल्लेख है कि शूद्रों को देखने मात्र से उच्च जाति के हिन्दु अपवित्र हो जाते है। "यदि शूद्र किसी आर्य स्त्री से सम्भोग करता है तो उसकी जननेन्द्रिय को काट दिया जाय और उसकी सारी सम्पत्ति जप्त कर ली जाय, और यदि उस स्त्री का कोई स्वामी न हो तो शूद्र को उपर्युक्त दण्ड के पश्चात् प्राणदण्ड दिया जाय। धार्मिक निर्योग्यताएँ अस्पृश्यों को अपवित्र माना गया और उन पर अनेक निर्योग्यताएँ लाद दी गयीं। इन लोगों को मंदिर प्रवेश, पवित्र स्थानों पर जाने तथा अपने ही घरों पर देवी–देवताओं की पूजा करने का अधिकार नहीं दिया गया। इन्हें वेदों तथा अन्य धर्मग्रन्थों के अध्ययन एवं श्रवण की आज्ञा नहीं दी गयी।

यज्ञ करते समय शूद्र से बात नहीं करना चाहिए, न शूद्र की उपस्थिति में यज्ञ करना चाहिए। अस्पृश्यों को जन्म से ही अपवित्र माना गया है और इसी कारण इनके शुद्धिकरण के लिए संस्कारों के लिए व्यवस्था नहीं की गयी है। हिन्दुओं के शुद्धिकरण हेतु धर्मग्रन्थों में सोलह प्रमुख संस्कारों का उल्लेख मिलता है। इनमें से अधिकांश को पूरा करने का अधिकार अस्पृश्यों को नहीं दिया गया। इन्हें विद्यारम्भ, उपनयन और चूडाकर्म जैसे प्रमुख संस्कारों की आज्ञा नहीं दी गयी है।

राजनीतिक निर्योग्यताएँ

अस्पृश्यों को राजनीति के क्षेत्र में सब प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा गया है। उन्हें शासन के कार्य में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करने, कोई सुझाव देने, सार्वजनिक सेवाओं के लिए नौकरी प्राप्त करने या राजनीतिक सुरक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया। अस्पृश्यों को कोई भी अपमानित कर सकता और यहाँ तक की पीट भी सकता था। ऐसे व्यवहारों के विरूद्ध उन्हें सुरक्षा प्राप्त नहीं थी। उनके लिए सामान्य अपराध के लिए भी कठोर दण्ड की व्यवस्था थी। दण्ड की विभेदकारी नीति का मनुस्मृति में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इस ग्रन्थ में बतलाया गया है कि "जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए क्रमश सत्य, शस्त्र तथा गऊ के नाम पर शपथ लेने का विधान रखा गया, वहीं अस्पृश्यों के लिए न्याय देने के पूर्व ही केवल शपथ के रूप में आठ अंगुल लम्बा–चौड़ा गर्म लोहा हाथ में लेकर सात पग चलने की व्यवस्था की गयी।

दण्ड की कठोरता का इसी बात से पता चलता है कि मन ने बताया है कि निम्न वर्ण का मनुष्य शूद्र अथवा अस्पृश्य अपने जिस अंग से उच्च वर्ण के व्यक्तियों को चोट पहुँचाये उसका वह अंग ही काट डाला जायेगा। वह जो हाथ या डण्डा उठायेगा उसका हाथ काट डाला जायेगा। स्पष्ट है कि अस्पृश्यों की अनेक राजनीतिक निर्योग्यताएँ रही हैं। आर्थिक व व्यवसाय चयन सम्बन्धी निर्योग्यताएँ वर्ण–व्यवस्था और शूद्रों की शोषित, सामाजिक, आर्थिक स्थिति का इतिहास, सामान्य प्राचीन एवं साथ–साथ प्रारम्भ होने वाली घटनायें हैं। भारतीय समाज में अनेक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक भिन्नतायें तथा

असमानतायें प्राचीनकाल से ही व्याप्त रही हैं। इसमें सर्वाधिक निम्नस्तरीय तथा विचारशून्य असमानतायें जाति संस्था पर आधारित रही हैं।

जाति को एक अन्तर्विवाही बन्द समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसकी जन्म द्वारा सदस्यता तथा अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण, अन्तर्जातीय खान–पान पर प्रतिबन्ध, सामाजिक संस्तरण में निश्चित सांस्कारिक एवं सामाज प्रदत्त ऊँच–नीच पर आधारित दूसरी जातियों से सामाजिक दूरी एवं रिक्तता का भाव तथा पद और स्थिति का प्रत्यक्ष रूप से धन, शक्ति–संरचना और शिक्षा द्वारा निर्धारण है।

अपने परम्परात्मक पेशों को छोड़कर अछूतों को यह अधिकार नहीं था कि वे ऊँची जातियों के पेशों को स्वतंत्रापूर्वक चुन सकें। शूद्र को धनसंचय कदापि नहीं करना चाहिए चाहे वे ऐसा करने में समर्थ भी क्यों ना हो, क्योंकि धन संचय करके रखने वाला शूद्र ब्राह्मणों को पीड़ा देता है। अस्पृश्यों को वह सब काम सौंप दिये गये जो सवर्ण हिन्दुओं के द्वारा नहीं किये जाते थे। आर्थिक निर्योग्यताओं के कारण अस्पृश्यों की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो गयी कि इन्हें विवश होकर सवर्णों के झूठे भोजन, फटे–पुराने वस्त्रों एवं त्याज्य वस्तुओं से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ी। अस्पृश्यों को मल–मूत्र उठाने, सफाई करने, मरे हुए पशुओं को उठाने और उनके चमड़े से वस्तुएँ बनाने का कार्य सौंप दिया गया।

मनुस्मृति काल में ऐसे घृणित कार्यों में लगे लोगों को न केवल गांव से निकाल दिया गया, बल्कि उन्हें ऐसे कार्य सौपे गये जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि वे मनुष्य जाति के सबसे अधम नमूने हैं। उन्हें खेती करने, व्यापार चलाने तथा शिक्षा प्राप्त कर नौकरी करने का अधिकार नहीं दिया गया। ये लोग गाँवो में अधिकतर भूमिहीन श्रमिकों के रूप में कार्य करते हैं। इन्हें सम्पत्ति सम्बन्धी निर्योग्यताओं से भी पीड़ित रहना पड़ा। इन्हें भूमि, अधिकार तथा धनसंग्रह की आज्ञा नहीं दी गयी। मनृस्मृति में बतलाया गया है अस्पृश्य व्यक्ति को आवश्यता से वस्तुओं का भी संग्रह नहीं करना चाहिए, उन्हें समाज के अन्य लोगों के कार्यों में सेवार्थ श्रम करना चाहिए, चाहे उसे ऐसा करने में कठिनाई ही क्यों ना आ रही हो। इस कार्य को नहीं करना अपने आप को पाप का भागीदार बनाना हैं।

अनुसूचित जातियों का सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक शोषण हुआ है। आर्थिक दृष्टि से उन्हें घृणित से घृणित पेशों को अपनाने के लिए बाध्य किया जाता था। उनकी महत्वपूर्ण सेवाओं के बदले में समाज में उन्हें शेष जूठा भोजन, त्याज्य वस्तुएँ और फटे–पुराने वस्त्र दिये गये। हिन्दुओं ने धर्म के नाम पर अपने इन सभी व्यवहार प्रतिमानों को उचित माना और इन लोगों को इस व्यवस्था से संतुष्ट रहने के लिए बाध्य किया तथा उन्हें कहा गया कि इस जन्म में अपने दायित्वों का सही रूप से निर्वाह कर अगले जन्म में अच्छी प्रस्थिति प्राप्त करने की ओर अग्रसर होगें अन्यथा अगला जीवन और भी निम्न कोटि का होगा। इस प्रकार अस्पृश्यों को आर्थिक शोषण का शिकार होना पड़ा।

अस्पृश्यों की उपर्युक्त नियोग्यताएँ मुख्यत: मध्यकालीन सामाजिक व्यवस्था से से सम्बन्धित हैं। इस प्रकार इन अस्पृश्यों की समस्याएं केवल मात्र दो या चार ही नहीं रही वरन इनका जीवन ही समस्याओं का जाल था, वे सदैव सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी प्रताड़ित रहते थो। इतने लम्बे समय से सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित निरक्षर तथा चेतनाशून्य होने के कारण इनकी स्थिति में सुधार होने में कुछ समय लगेगा। इनके प्रति लोगों की मनोवृत्ति धीरे धीरे बदलेगी और कालान्तर में ये सामाजिक जीवन की मुख्य धारा में प्रवाहित होने लगेंगे।

अस्पृश्यों की निर्योग्यताएँ नगरीय क्षेत्रों में समाप्त होती जा रही हैं परन्तु ग्रामीण इलाकों में इनकी निर्योग्यताओं की झलक आज भी कहीं कहीं दिखलायी देती हैं। जिसका प्रमुख कारण ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन की गति धीमी का धीमा होना व रुढिवादिता का बोल–बाला है।

राजनीतिक प्रस्थिति में परिर्वतन

स्वतन्त्रता प्राप्ति हेतु किए गए आन्दोलनो एवं सरकारी गैर सरकारी प्रयासों से महिलाओं की राजनीतिक प्रस्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, पण्डित जवाहर लाल नेहरू, और सुभाष चन्द्र बोस आदि ने आजादी की लड़ाई में महिलाओं को भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया। इन राष्ट्रीय तथा चमत्कारिक नेतृत्व क्षमता वाले नेताओं के आह्वान से अनेक महिलाओं ने स्वतन्त्रता आन्दोलन में हिस्सा लिया तथा इन्होंने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, असहयोग आन्दोलन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन, शराब बन्दी आन्दोलन, ब्रिटिश सत्ता के आदेशों की अवहेलना हेतु जेल जाना आदि सभी आन्दोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया परिणामस्वरूप महिलाओं में अपने अधिकारों हेतु चेतना जागृत हुई।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध कार्य हिसार में निवास करने वाली अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति का नगरीय एवं ग्रामीण स्तर पर तुलनात्मक अध्ययन है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के लगभग सात दशक पश्चात भी नगरीय एवं ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाओं में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक स्तर पर एक अन्तर नजर आता हैं। शोधार्थी द्वारा हिसार के दोनों जिलों आदमपुरएवं अलीपुरके नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र की अनुसूचित जातीय महिलाओं के विवाह, तलाक, दहेज सन्तानोत्पत्ति, नौकरी, मजदूरी जैसे विषयों पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता, दोनों जिलों आदमपुरएवं झुन्झुनूं की अनुसूचित जातियों की महिलाओं की प्रस्थिति का तुलनात्मक अध्ययन, विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयासों के कारण इनमें आए प्रस्थितिगत बदलाव, वर्तमान समय में अनुसूचित जाति की महिलाओं में सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन की दिशा, अनुसूचित जाति की महिलाओं की आर्थिक प्रस्थिति एवं घर तथा बाहर निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में सहभागिता के स्तर को जानने आदि के उद्देश्य से यह अध्ययन किया गया है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. कोठारी, रजनी : 1970, कास्ट इन इण्डियन पॉलिटिक्स, दिल्ली।
2. बॉटमोर,टी. बी.:1971, सोशलॉजी, ब्लेकी एण्ड सन्स प्रा. लि. बम्बई।
3. कपूर, प्रमिला : 2019, कामकाजी भारतीय नारी, राजपाल एण्ड सन्ज, दिल्ली
4. कपाड़िया, के, एम. : 1972, मैरिज एण्ड फैमिली इन इण्डिया, ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, बम्बई।
5. फूले, ज्यातिबा राव : 1974, फादर ऑफ इण्डियन सोशियल रिवॉल्यूशन, पापुलर प्रकाशन,बम्बई। राष्ट्रीय समिति 1975, भारत में महिलाओं की स्थिति, एलाइड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई।
6. सिन्हा, सच्चिदानन्द: 2015, द हरिजन इलीयट,थामसन प्रकाशन लि.बम्बई।
7. डेविस, किंगसले: 1981, हुमन सोसाइटी, सुरजीत पब्लिकेशन्स, दिल्ली • प्रभु, पी.एन. 1985, हिन्दू सोशल आर्गेनाइजेशन, पापुलर बुक डिपो, बम्बई।
8. रावत, के.एच.: 1987, सामाजिक अन्वेषण की सर्वेक्षण पद्धतियां, मलिक एण्ड कम्पनी, जयपुर। देसाई, ए.आर.:1989, भारत का विकास मार्ग, हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली मजूमदार, डी.एन.एवं मदान, टी.एन. रू 1989, एन इन्ट्रोडक्शन टू सोशियल एन्थ्रोपोलॉजी, नेशनल पब्सिंग हाउस, नई दिल्ली।

9. कौशिक, सुशिला: 1993, विमन्स पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, विकास पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली।

10. जैन, प्रतिभा एवं शर्मा, संगीता :2014, भारतीय नारी सांस्कृतिक संदर्भ, जयपुर।

11. सिंह, बी.बी., मिश्र ,सुब्रत के.: 1999, डेमोक्रेसी एण्ड सोशल चेंज इन इडिण्या ए क्रास–सेक्सनल एनालैसिस ऑफ द नेशनल इलेक्ट्रोरंट, सेज, दिल्ली।

12. यादव, पूरणमल 1999, अस्पृयता एवं दलित चेतना, पोईन्टर प्रकाशन, जयपुर।

13. तिवारी, आर.पी. एवं शुक्ला, डी.पी.: 1999, भारतीय नारी वर्तमान समस्याएं और समाधान, नई दिल्ली।